UPMZ010006362025

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

पीठासीन अधिकारी— डॉ. अजय कुमार—द्वितीय, उच्चतर न्यायिक सेवा—यू.पी.6535

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 419 सन 2025

हर्षित पुत्र विरेन्द्र
निवासी ग्राम मोरकुक्का, थाना मन्सूरपुर,
जनपद मुजफ्फरनगर

—आवेदक / अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—अभियोजन पक्ष

अपराध संख्या—12 सन 2025
धारा— 110, 118 (1), 131, 352, 351 (2), भारतीय न्याय संहिता
थाना—मन्सूरपुर
जनपद—मुजफ्फरनगर

01.02.2025

1. आवेदक / अभियुक्त उपरोक्त, जो अपराध संख्या—12 सन 2025 धारा— 110, 118 (1), 131, 352, 351 (2) भारतीय न्याय संहिता, थाना—मन्सूरपुर, जनपद मुजफ्फरनगर के संबंध में अभिरक्षा में है, की ओर से उसे जमानत पर रिहा किये जाने हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक अनुसार, वादी मुकदमा ओमवीर द्वारा दिनांक 13.01.2025 को थान मन्सूरपुर पर प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि, वादी मुकदमा का पुत्र रोहित दिनांक 13.01.2025 को समय करीब 10 बजे ग्राम मोरकुक्का में मंदिर के पास खडा था। गाँव का मिट्टू बच्चों के रास्ते में खेलने की बात को लेकर अपने साथ हर्षित व शिवम तथा एक अज्ञात व्यक्ति को साथ लेकर अपने हाथों में लाठी—डंडे व सरिया लेकर आया और गाली गलौज करते हुए रोहित के सिर व चेहरे पर बुरी तरह से डंडे व सरिये मारे, जिससे उसे काफी चोटें आयी।

3. आवेदक / अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक / अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे गाँव की रंजिश के कारण इस मामले में झूठा फँसाया गया है।

Digitally signed by Dr Ajay Kumar II
Date: 2025.02.01 21:23:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदक/अभियुक्त बीबीए तृतीय वर्ष का छात्र है। विवेचक ने उसे घर से बुलाकर आवेदक/अभियुक्त के साथ रास्ते की फर्जी विडियो बनायी गयी। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 15.01.2025 से जिला कारागार में निरूद्व है। जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक एवं वादी मुकदमा की ओर से उपस्थित उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का पुरजोर विरोध किया गया तथा तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व गंभीर प्रकृति का आरोप है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की माँग की गयी।

5. जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक एवं वादी मुकदमा की ओर से उपस्थित उसके विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने और अभियोजन की ओर से सम्यक रूप से प्रस्तुत केस डायरी व अन्य पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. आवेदक/अभियुक्त पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पुत्र रोहित के साथ लाठी डंडो व सरियों से लैस होकर मारपीट कर चोटें पहुँचाने का आरोप है। मजरूब की चिकित्सीय आघात आख्या के अनुसार उसे निम्न 9 चोटें आयी हैं :–

चोट संख्या 1– लाल फटा हुआ घाव 2 सेमी X 0.5 सेमी सिर के बाएँ हिस्से में खोपड़ी तक गहरा, बायीं भौं के मध्य भाग से 12 सेमी दूर,

चोट संख्या 2– लाल फटा हुआ घाव 2.5 सेमी X 0.5 सेमी सिर के बाएँ हिस्से में खोपड़ी तक गहरा, बाएँ कान से 7 सेमी दूर,

चोट संख्या 3– लाल फटा हुआ घाव 1 सेमी X 0.5 सेमी सिर के दाएँ हिस्से में खोपड़ी तक गहरा, दाएँ कान से 7 सेमी दूर,

चोट संख्या 4– लाल कटा हुआ घाव 3 सेमी X 0.5 सेमी माथे के मध्य भाग में नाक की जड़ सहित,

चोट संख्या 5– लाल नीलगू सूजन 3.5 सेमी X 1.5 सेमी नाक के दोनों तरफ, रक्तस्राव उपस्थित,

चोट संख्या 6– लाल फटा हुआ घाव 2 सेमी X 0.5 सेमी चेहरे के दायीं तरफ दायीं आँख के ठीक नीचे दर्दनाक सूजन,

चोट संख्या 7– लाल नीलगू निशान 7.5 सेमी X 2 सेमी बाएँ कन्धे की हड्डी पर, पीठ के मध्य में बायीं ओर,

चोट संख्या 8– बाई कलाई के जोड़ से 05 सेमी ऊपर बाएँ अग्रभाग के मध्य भाग और निचले हिस्से पर लाल खरांश 03 सेमी X 02 सेमी,

चोट संख्या 9– दाएँ अग्रभाग के पीछे पार्श्व पहलू पर 04 सेमी X 02 सेमी का लाल खरांश।

चोट संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 को जेरे गौर रखा गया था। मजरूब की पूरक आख्या में चोट संख्या 4, 5 व 6 को गंभीर प्रकृति की बताया गया है। दौरान विवेचना, विवेचक ने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत वादी मुकदमा ओमवीर व चक्षुदर्शी साक्षी ओमकार के बयान अंकित किये हैं, जिसमें उनके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। अभियुक्त गोलू का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। दौरान विवेचना दिनांक 15.01.2025 को आवेदक/अभियुक्त को पुलिस द्वारा पकड़ा गया तथा उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडे की बरामदगी की गयी है। विवेचक ने आवेदक/अभियुक्त हर्षित को धारा 35 (3) बी.एन.एस.एस.का नोटिस तामील कराने को कहा, तो उसने नोटिस की तामील से इंकार कर दिया। प्रकरण में विवेचना अभी प्रारंभिक स्तर पर है। विवेचक द्वारा धारा 180 बीएनएसएस के तहत अभी तक मजरूब का बयान अभिलिखित नहीं किया गया है। अन्य अभियुक्तगण मिटटू व गोलू की गिरफतारी शेष है। अतः समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता व चोटों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह न्यायालय आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

तदनुसार अभियुक्त **हर्षित पुत्र विरेन्द्र** की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

(डॉ. अजय कुमार–द्वितीय)
सेशन न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

दिनांक : 01.02.2025